हुकम या कार्यवाही

प्र. स. ......

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
10/9/25	वकील वादी उप. साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने ... वकील वादी उप. अन्तिम अवसर दिया। पत्रावली चाहने पर अन्तिम अवसर दिया। साक्ष्य प्रतिवादी दि. 25/9/25 को पेश करने साक्ष्य प्रतिवादी दि. 25/9/25 को ...
05/9/25	वकील वादी अ०/ वकील श्री अनु० ... अन्तिम अवसर दिया जाता है। पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पेश करने आदेश प्रतिवादी हेतु पत्रावली वास्ते पेश करने आदेश प्रतिवादी हेतु दिनांक 13/11/25 को पेश हो।
13/11/25.	वकु० उप०/ साक्ष्य प्रति० पेश नहीं किये जाने से साक्ष्य प्रति० बंद की जाती है। पत्रा० वास्ते बहस दि० 4/12/25 को पेश हो।
4/12/25	...वली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उप... ...अण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में ... है। अतः ... में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः ... कार्यवाही हेतु दिनांक 18/12/25 को पेश हो
18/12/25	वकील वादी उप. व हम उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 26/12/25 को पेश हो।
26/12/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में अस्वीकार खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्याया. सुनाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
52/दावा/2018	09.07.2018	26.12.2025

1. पुष्पा बाई बेवा रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी बरूधंन जर्ये मुख्तयार कन्हैयालाल पुत्र लालचन्द निवासी बून्दी मृतक जर्ये कायम मुकाम
   1/1. श्रीमति कमला बाई आयु 77 वर्ष पत्नि श्री लालचन्द जाति ब्राहम्ण नि0 मीणो का मोहल्ला लाडपुर तह0 तालेडा जिला बून्दी।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री हरिशंकर जाति माली नि0 बरूधंन तह0 तालेडा जिला बून्दी राज0।
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादी :— श्री राजकुमार गौतम
अधिवक्ता प्रतिवादी :—

— : : निर्णय : : —

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खं0 सं0 1186 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम बरूधंन तह0 तालेडा में विस्थित है जो कि वादीनी के पति रामचन्द्र की पुश्तेनी सम्पति है जो रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात वादीनी के खाते दर्ज होकर काबिज काश्त चली आ रही है। वादीनी द्वारा दिनांक 20.06.2018 को सीमाज्ञान करवाने पर ज्ञात हुआ कि वादीनी की उत्तर दिशा की लगभग बिस्वा भूमि प्रतिवादी 1 के कब्जे में है। वादीनी के अस्वस्थ होने से दिनांक 20.06.2018 को वादीनी का जवाई लालचन्द एवं दोहिता चन्द्रशेखर कृषि भूमि पर देखने के लिये गये तो प्रतिवादी सं0 1 व उसके परिवारजन ने वादीनी के जवाई व दोहिते से भूमि पर से कब्जा छोडने से मना कर दिया एवं 21.06.2018 को लगभग 1 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर फसल बो दी एवं धमकी दी की भूमि पर कोई आया तो जान से हाथ धोना पडेगा। वादीनी की समझाईश पर भी प्रतिवादी सं0 1 ने कब्जा सम्भलाने से मना कर दिया। वादीनी वृद्ध महिला एवं गम्भीर बिमारी से ग्रसित होने से जर्ये मुख्तार कन्हैयालाल शर्मा यह वाद प्रस्तुत किया गया। श्रीमान से प्रार्थना है कि बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद डिक्री फरमायी जाकर प्रतिवादी सं0 1 को वाद वर्णित कृषि भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा वादीनी को सम्भलाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद वर्णित आराजी पर वादीनी एवं उसके पूर्वजो का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीनी ने किस भूमि बाबत प्रतिवादी का कब्जा होना अंकित नही किया गया है ना ही तथाकथित दिनांक पर सीमाज्ञान करवाया गया। प्रतिवादी वाद वर्णित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वादीनी ने कभी भी कब्जे की मांग नही की। प्रतिवादी 40 वर्षो से वाद वर्णित भूमि पर काबिज काश्त है एवं उक्त भूमि पर वादीनी कभी आयी ही नही इसलिये वाद कारण के अभाव में वाद खारिज योग्य है। वादीनी ने यह वाद पत्र मियाद बाहर पेश करने से खारिज योग्य है। वादीनी ने यह वाद पत्र जिस मुख्तार नामा के आधार पर पेश किया वह प्रोपर स्टाम्पित नही रजिस्टर्ड है इसलिये कन्हैयालाल को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही होने से वाद वादी खारिज योग्य है।

वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर दिनांक 11.10.2019 को निम्नाकिंत तनकीयात कायम की

1. आया वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वादिनी प्रतिवादी सं0 1 को बेदखल करवाकर कब्जा भूमि प्राप्त करे।

वादीनी

आया प्रतिवादी का कब्जा निर्बाध होने, वादीनी का वाद मियाद बाहर होने तथा वादिनी के वाद का वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज होने योग्य है ।

प्रतिवादी

3. अनुतोष

वादीनी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी मुख्तारान कन्हैयालाल आ0 लालचन्द एवं नन्दलाल आ0 मन्नालाल के शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी संवत् 2072–75 वाके ग्राम बरुधंन प्रदर्श–1, मुख्तारनामा प्रदर्श–2, प्रस्तुत किये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी । दोराने बहस वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीनी की भूमि ख0 सं0 1186 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम बरुधंन तह0 तालेडा में विस्थित है जो कि वादीनी के पति रामचन्द्र की पुश्तेनी सम्पति है जो रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात वादीनी के खाते दर्ज होकर काबिज काश्त चली आ रही है। वादीनी द्वारा दिनांक 20.06.2018 को सीमाज्ञान करवाने पर ज्ञात हुआ कि वादीनी की लगभग 05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी 1 के कब्जे में है। श्रीमान से निवेदन है कि बहक वादीनी विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद डिक्री फरमायी जाकर प्रतिवादी सं0 1 को वाद वर्णित कृषि भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा वादीनी को सम्भलाया जावे।

वाद पत्र में कायम तनकीयात का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

1. आया वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वादिनी प्रतिवादी सं0 1 को बेदखल करवाकर कब्जा भूमि प्राप्त करे।
   इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 एवं साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2 पेश किये जिनके अवलोकन से यह प्रमाणित है कि वाद वर्णित आराजी प्रार्थीया के खातेदार अधिकार की भूमि है किन्तु पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रमाणित नहीं होता कि प्रतिवादी द्वारा वादिनी की भूमि के किस हिस्से पर एवं कब से कब्जा किया हुआ है। वादिनी ने वाद पत्र में अंकित तथ्य बाबत सीमाज्ञान का भी कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया है ना ही कब्जा काश्त बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वादिनी के विरुद्ध प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित होती है।
2. आया प्रतिवादी का कब्जा निर्बाध होने, वादीनी का वाद मियाद बाहर होने तथा वादिनी के वाद का वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज होने योग्य है ।
   इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा जवाब वाद पत्र में यह अंकित किया है कि वाद वर्णित आराजी पर प्रतिवादी का वर्षो से कब्जा काश्त है, जिसका प्रमाण वादिनी द्वारा स्वयं वाद पत्र वास्ते बेदखली भूमि से प्रमाणित है किन्तु प्रतिवादी का वाद वर्णित आराजी से कब से कब्जा है इस बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो कि वाद वर्णित आराजी पर कब्जे की अवधि को प्रमाणित करे। ऐसी स्थिती में वादिनी के वाद को मियाद बाहर माना जाना अनुचित है ना ही प्रतिवादी द्वारा निर्बाध कब्जा काश्त बाबत कोई दस्तावेज पेश किया गया। केवल मात्र पक्षकारो द्वारा अपने कथनों में कब्जा होना एवं निर्बाध कब्जा होना अंकित किया है जो कि प्रमाणिकता से परे है वादीनी अथवा प्रतिवादी क्रम 1 ने कोई दस्तावेज/अंकन/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने से यह तनकी वादिनी के विरुद्ध प्रतिवादी के पक्ष में आंशिक स्वीकार की जाती है।
3. अनुतोष– बहस वादी, वाद पत्र में अंकित तथ्य, प्रतिवाद पत्र, साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर तनकीवार विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादिनी प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों को साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहने से अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा